



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/कवर्धा/चू०प०-4/रायपुर

38 छ०ग० 09001

दिनांक :- 11/05/2020

प्रति,

श्री मेघपाल सिंह,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर
सर्वश्री जायसवाल निको इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
एफ-8, एम० आई० डी० सी० इन्डस्ट्रीयल एरिया, हिंगना रोड,
नागपुर, जिला नागपुर, (महाराष्ट्र) - 440 016

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले में स्थित आपकी मानपुर चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 12.145 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 30/01/2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री संजय कुमार साहू, खान प्रबंधक एवं श्री सुनील कुमार पॉल, मुख्य भूवैज्ञानी की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 26 (1)	During inspection, it has been found that four to five quarries within lease area are left abandoned where the mineral has been mined out earlier and later on no Protective Measures have been taken around these quarries. Hence, suitable Protective Measures should be taken around all non-working quarries.
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of the Mining Engineer has not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.
Rule 45(7)	Annual Return F.Y. 2018-19: Part II A; Capital Structure: 1.0: Since the Mining Lease of Khaira Bhatgaon (11.50 Acer) Limestone Mine (Mine Code: 38MPR31002) does not exist in the list of mines published by the Chhattisgarh Government, hence, the given information under this section of the Annual Return for F.Y. 2018-19 may be removed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001

क०प००००.2.

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री धरमुधर पटेल, खान ऐजेंट, सर्वश्री जायसवाल निको ईन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, बिलासपुर रोड, सिलतरा, रायपुर (छत्तीसगढ़), पिन कोड—493111

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर